

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)	(13)
Departmental Promotional Committee (for considering confirmation) consisting of :—	Not applicable.
1. Colonel (Records), Assam Rifles —Chairman	
2. Staff Officer 1 (Administration), Assam Rifles —Member	
3. Technical Officer, Assam Rifles —Member	
4. Any Junior Commissioned Officer nominated by Brigadier (Personnel) of Assam Rifles —Member	

[F. No. A/Pers./RR/PH/2013]  
DINESH MAHUR, Director (Pers.)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013

सा.का.नि. 56.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (रोकडिया) भर्ती नियम, 1999 और गृह मंत्रालय (रोकडिया) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में रोकडिया पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय (रोकडिया) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची					
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रोकड़िया	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
<p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>					

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष

- (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री, और
- (2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या लोक उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन रोकड़ और लेखा कार्य हैंडलिंग का तीन वर्ष का अनुभव :

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

6505/13-3

(7)

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है )/आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या लोक उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिनका वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की नियमित सेवा है; या
- (iii) जिनका वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु. और वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु. के पद पर दस वर्ष की सम्मिलित सेवा है; जिसमें वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2800 रु. के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा भी है; या
- (iv) जिनका वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में दस वर्ष की नियमित सेवा है;

जो सचिव प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त हैं या रोकड़ और लेखा कार्य हैंडलिंग का तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को ही आमेलन के लिए विचारित होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले ( उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया

(11)

गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार के लिए :—

- |  |          |
|--|----------|
| 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय           | —सदस्य   |
| 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय           | —सदस्य   |

(13)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) या आमेलन पर नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-35014/14/2010-एडी-V]

शिवाजी बनर्जी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा वर्ष 1999 में प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा.का.नि. 228 तारीख 11 दिसम्बर, 2010 (पृष्ठ 1136-1153) द्वारा उनमें परचातवर्ती संशोधन किया गया।

New Delhi, the 1st March, 2013

**G.S.R. 56.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Cashier) Recruitment Rules, 1999 and the Ministry of Home Affairs (Cashier) Recruitment (Amendments) Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cashier in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Cashier), Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE					
Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cashier	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -2, ₹9300—34800 plus Grade Pay ₹4200	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
Essential : (i) Degree of a recognized University; and (ii) Three years' experience in handling cash and accounts works in Central or State Governments or Union Territories or Recognized Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations.			Not applicable	Two years for direct recruits	
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.					

(7)

**Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/transfer to be made

(10)

(11)

By Deputation (including short-term contract)/  
Absorption failing which direct recruitment

**Deputation (including short-term contract)/absorption :—**  
Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Recognized Research Institutes or Universities or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations :—  
(i) Holding analogous posts on regular basis; or  
(ii) with six years' regular service in Pay Band-1 (₹ 5200—20200) with the Grade Pay of ₹ 2800 or equivalent after appointment thereto on regular basis; or  
(iii) with ten years' combined service in the posts in Pay Band-1 (₹ 5200—20200) with the Grade Pay of ₹ 2800 and in Pay Band-1 (₹ 5200—20200) with the Grade Pay of ₹ 2400, out of which at least three years' service in the post in Pay Band-1 (₹ 5200—20200) with the Grade Pay of ₹ 2800; or  
(iv) with ten years' regular service in posts in PB-1 (₹ 5200—20200) with the Grade Pay of ₹ 2400 or equivalent;  
who should have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or possessing three years' experience of handling cash and accounts work.

**Note 1 :** The officials from Central and State Government shall only be considered for absorption.

**Note 2 :** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based

(11)

on 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotional Committee for considering confirmation :—

1. Director or Deputy Secretary (Administration),—Chairman  
Ministry of Home Affairs
2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs —Member
3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs —Member

Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract)/Absorption.

[F. No. A-35014/14-2010-Ad.-V]

SHIBATOSH BANERJEE, Under Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification of the Ministry of Home Affairs, in the year 1999 and was subsequently amended vide G.S.R. 228 published in the Gazette of India dated 11th December, 2010 (page 1136—1163).

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण विकास मंत्रालय (आर्थिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में आर्थिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय, आर्थिक अधिकारी, समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2012 है।  
(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :